



?????? ?????????? ??????
"न्टम्ल ल फ्लक्।"

<p>निदेशक का कार्यालय पूर्वी मुद्रण वर्ग 14, वुड स्ट्रीट, कोलकाता-700016 (प०ब०) दूरभाष सं०: 033-22876950 फैक्स सं०: 033- 22834694 ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in</p>		<p>OFFICE OF DIRECTOR Eastern Printing Group, 14, Wood Street Kolkata-700016 (W.B.) Phone No. 033- 22876950 Fax No. 033- 22834694 E-mail: epg.kol.soi@gov.in</p>
सं० /37-G-15(EPGRO)		दिनांक : -09- 2017

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 06 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 08-09-2017
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. 06 /37-G-15(EPGRO) DATED 08-09-2017

I. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैंट प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री जेम्स बेक	वरिष्ठ रिप्रोग्रफर (सेवानिवृत्त)	01-09-2008
2.	श्री असित कुमार मिश्रा	-तदैव-	01-09-2008
3.	श्री बादल कुमार सरकार	सहायक प्रबन्धक (सेवानिवृत्त)	01-09-2008
4.	श्री तापस कुमार घोष राय	वरिष्ठ रिप्रोग्रफर (सेवानिवृत्त)	01-09-2008
5.	श्री खोकन कुमार दास	-तदैव-	01-09-2008
6.	श्री हरलाल हवलदार	दिस्पेचर ग्रेड-II (सेवानिवृत्त)	01-09-2008

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay

Contd...P/2.

Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri James Beck	Senior Reprographer(Retd)	01-09-2008
2.	Shri Asit Kr. Mishra	-do-	01-09-2008
3.	Shri Badal Kr. Sarkar	-do-	01-09-2008
4.	Shri Tapas Kr. Ghosh Ray	-do-	01-09-2008
5.	Shri Khokan Kr. Das	-do-	01-09-2008
6.	Shri Haralal Hawlader	Despatcher Gde-II(Retd)	01-09-2008

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्दारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड पक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेश शालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4295/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

II. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री स्वपन कुमार दास	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2014

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate is granted second Financial Upgradation under the Second Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4800 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Swapan Kr. Das	L.M.P. Gde-II	01-01-2014

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4288/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०)
दिनांक 23-08-2017)

III. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री टी० भट्टाचार्य	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2016
2.	श्री अंजन कुमार चक्रवर्ती	फोटो ग्रेड-II	01-01-2016

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Second Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri T. Bhattacharjee	L.M.P. Gde-II	01-01-2016
2.	Shri Anjan Kr. Chakraborty	Photo Gde-II	01-01-2016

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशलय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4281/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

IV. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री बादल कुमार सरकार	सहायक प्रबन्धक (सेवानिवृत्त)	01-01-2014
2.	श्री अरूप कुमार दत्ता	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	01-01-2014
3.	श्री रंजित कुमार मजुमदार	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	01-01-2014

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Third Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4800 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Badal Kr. Sarkar	Assistant Manager(Retd)	01-01-2014
2.	Shri Arup Kr. Dutta	Sr. Reprographer(Retd)	01-01-2014
3.	Shri Ranjit Kr. Mazumder	Sr. Reprographer(Retd.)	01-01-2014

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4267/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

V. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैंट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री स्वपन कुमार मित्रा	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2002	5000-150-8000
2.	श्री गोपीनाथ साहा	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2002	5000-150-8000
3.	श्री बिकाश कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2002	5000-150-8000
4.	श्री नागेश्वर गोप	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2002	5000-150-8000
5.	श्री तरुण कुमार सोरेन	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2002	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri Swapan Kr. Mitra	Sr. Reprographer	01-01-2002	5000-150-8000
2.	Shri Gopinath Saha	Sr. Reprographer	01-01-2002	5000-150-8000
3.	Shri Bikash Kr. Das	Sr. Reprographer	01-01-2002	5000-150-8000
4.	Shri Nageswar Gop	Sr. Reprographer	01-01-2002	5000-150-8000
5.	Shri Tarun Kr. Soren	Sr. Reprographer	01-01-2002	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेश शालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4369/1902- ए०सी०पी० (प०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

VI. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री अनिल चन्द्र घोष	वरिष्ठ रिप्रोग्रफर	01-01-2000	5000-150-8000
2.	श्री रोबर्ट टिकी	वरिष्ठ रिप्रोग्रफर	01-01-2000	5000-150-8000
3.	श्री सुशील कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्रफर	01-01-2000	5000-150-8000
4.	श्री गौतम सरदार	वरिष्ठ रिप्रोग्रफर	01-01-2000	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri Anil Chandra Ghosh	Sr. Reprographer	01-01-2000	5000-150-8000
2.	Shri Robert Tirkey	Sr. Reprographer	01-01-2000	5000-150-8000
3.	Shri Sushil Kumar Das	Sr. Reprographer	01-01-2000	5000-150-8000
4.	Shri Gautam Sardar	Sr. Reprographer	01-01-2000	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4362/1902- ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

VII. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री सुजोय कुमार साहा	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2015
2.	श्री सुशान्त मण्डल	प्रोवर ग्रेड-II	01-01-2015
3.	श्री श्यामल कान्ति दास	प्रोवर ग्रेड-II	01-01-2015
4.	श्री सजल कुमार घोष	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2015

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Sujoy Kr. Saha	LMP Gde-II	01-01-2015
2.	Shri Susanta Mondal	Prover Gde-II	01-01-2015
3.	Shri Shyamal Kanti Das	Prover Gde-II	01-01-2015
4.	Shri Sajal Kr. Ghosh	LMP Gde-II	01-01-2015

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निम्ने शालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4260/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

VIII. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री यादव कुमार मुखोपाध्याय	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2003	5000-150-8000
2.	श्री सतीनाथ मण्डल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2003	5000-150-8000
3.	श्री अमित कुमार पाल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2003	5000-150-8000
4.	श्री डी०एस० बनर्जी	पी०डी० ग्रेड-II	01-01-2003	5000-150-8000
5.	श्री अविजित राय	तकनीकी क्लर्क ग्रेड-II	01-01-2003	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri Jadav Kr. Mukhopadhyay	Sr. Reprographer	01-01-2003	5000-150-8000
2.	Shri Satinath Mondal	Sr. Reprographer	01-01-2003	5000-150-8000
3.	Shri Amit Kumar Pal	Sr. Reprographer	01-01-2003	5000-150-8000
4.	Shri D.S. Banerjee	P.D. Grade-II	01-01-2003	5000-150-8000
5.	Shri Avijit Roy	Tech. Clerk Gde-II	01-01-2003	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारियों को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under ACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4355/1902- ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

IX. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैंट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री जाधव कुमार मुखोपाध्याय	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2011
2.	श्री सतीनाथ मण्डल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2011
3.	श्री अमित कुमार पाल	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2011
4.	श्री डी०एस० बनर्जी	पी०डी० ग्रेड-II	01-01-2011
5.	श्री अविजित राय	तकनीकी क्लर्क ग्रेड-II	01-01-2011

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-1019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Jadav Kr. Mukhopadhyay	Sr. Reprographer	01-01-2011
2.	Shri Satinath Mondal	Sr. Reprographer	01-01-2011
3.	Shri Amit Kumar Pal	Sr. Reprographer	01-01-2011
4.	Shri D.S. Banerjee	P.D. Grade-II	01-01-2011
5.	Shri Avijit Roy	Tech. Clerk Gde-II	01-01-2011

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4253/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

X. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री स्वपन कुमार मित्रा	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2010
2.	श्री गोपीनाथ साहा	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2010
3.	श्री बिकाश कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2010
4.	श्री नागेश्वर गोप	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2010
5.	श्री तरुण कुमार सोरेन	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2010

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Swapan Kr. Mitra	Sr. Reprographer	01-01-2010
2.	Shri Gopinath Saha	Sr. Reprographer	01-01-2010
3.	Shri Bikash Kr. Das	Sr. Reprographer	01-01-2010
4.	Shri Nageswar Gop	Sr. Reprographer	01-01-2010
5.	Shri Tarun Kr. Soren	Sr. Reprographer	01-01-2010

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4246/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

XI. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री तुषार भट्टाचार्जी	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2008	5000-150-8000
2.	श्री अंजन कुमार चक्रवर्ती	फोटो ग्रेड-II	01-01-2008	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri Tushar Bhattacharjee	LMP Gde-II	01-01-2008	5000-150-8000
2.	Shri Anjan Kr. Chakraborty	Photo Gde-II	01-01-2008	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारियों को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under ACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4342/1902-ए०सी०पी० (प०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

XII. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री सुजोय कुमार साहा	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2008	5000-150-8000
2.	श्री सुशान्त मण्डल	प्रोवर ग्रेड-II	01-01-2007	5000-150-8000
3.	श्री श्यामल कान्ति दास	प्रोवर ग्रेड-II	01-01-2007	5000-150-8000
4.	श्री सजल कुमार घोष	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2007	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri Sujoy Kr. Saha	LMP Gde-II	01-01-2008	5000-150-8000
2.	Shri Susanta Mondal	Prover Gde-II	01-01-2007	5000-150-8000
3.	Shri Shyamal Kanti Das	Prover Gde-II	01-01-2007	5000-150-8000
4.	Shri Sajal Kr. Ghosh	LMP Gde-II	01-01-2007	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारियों को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under ACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4335/1902-ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

XIII. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने

दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री गौतम बंदोपाध्याय	एल०डी० मेन ग्रेड-II	01-01-2004	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate is granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri Goutam Bandopadhyay	L.D. Man Gde-II	01-01-2004	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारी को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under ACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4328/1902-ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

XIV. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री श्यामल बिकाश बिस्वास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-09-2008
2.	श्री अनिल चन्द्र घोष	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-09-2008
3.	श्री रोबर्ट टिकी	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-09-2008
4.	श्री सुशील कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-09-2008
5.	श्री गौतम सरदार	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-09-2008

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Shyamal Bikash Biswas	Sr. Reprographer	01-09-2008
2.	Shri Anil Chandra Ghosh	Sr. Reprographer	01-09-2008
3.	Shri Robert Tirkey	Sr. Reprographer	01-09-2008
4.	Shri Sushil Kumar Das	Sr. Reprographer	01-09-2008
5.	Shri Gautam Sardar	Sr. Reprographer	01-09-2008

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड पक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4322/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

XV. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैंट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्रीमती कबिता दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	01-01-2013
2.	श्री एस०एन० भट्टाचारजी	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	01-01-2013
3.	श्री तपन कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	01-01-2011
4.	श्री जयदेव कुमार घोष	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	01-01-2012

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted Third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Smt. Kabita Das	Senior Reprographer(Retd)	01-01-2013
2.	Shri S.N. Bhattaacharjee	Senior Reprographer(Retd)	01-01-2013
3.	Shri Tapan Kr. Das	Senior Reprographer(Retd)	01-01-2011
4.	Shri Joydev Kr. Ghosh	Senior Reprographer(Retd)	01-01-2012

2. उपरोक्त कर्मचारियों को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4315/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

XVI. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापान सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4800 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री एस०बी० बिस्वास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	01-01-2014

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate is granted Third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri S.B. Biswas	Senior Reprographer	01-01-2014

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्दारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Third Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड पक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4308/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

XVII. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4200 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री जय कुमार बिस्वास	प्रवर ग्रेड-II	01-01-2012

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate is granted First Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Joy Kumar Biswas	Prover Gde-II	01-01-2012

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्दारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4239/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

XVIII. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री जेम्स बेक	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	09-08-1999	5000-150-8000
2.	श्रीमती कबिता दास	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	09-08-1999	5000-150-8000
3.	श्री असित कुमार मिश्रा	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	01-01-2000	5000-150-8000
4.	श्री बादल कुमार सरकार	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्ति)	09-08-1999	5000-150-8000
5.	श्री तापस कुमार घोष राय	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	01-01-2000	5000-150-8000
6.	श्री जयदेव कुमार घोष	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	09-08-1999	5000-150-8000
7.	श्री खोकन कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	01-01-2000	5000-150-8000
8.	श्री स्वपन कुमार दास	एल०एम०पी० ग्रेड-II	01-01-2006	5000-150-8000
9.	श्री अरूप कुमार दत्ता	वरिष्ठ रिप्रोग्रफार (सेवानिवृत्त)	09-08-1999	5000-150-8000

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
10.	श्री एस०एन० भट्टाचार्य	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	09-08-1999	5000-150-8000
11.	श्री हरलाल हवलदार	डिस्पैचर ग्रेड-II (सेवानिवृत्त)	01-01-2000	5000-150-8000
12.	श्री रंजीत कुमार मजुमदार	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	09-08-1999	5000-150-8000
13	श्री तपन कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर (सेवानिवृत्त)	09-08-1999	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate are granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against their name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri James Beck	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000
2.	Smt. Kabita Das	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000
3.	Shri Asit Kr. Misra	Senior Reprographer(Retd)	01-01-2000	5000-150-8000
4.	Shri Badal Kr. Sarkar	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000
5.	Shri Tapas Kr. Ghosh Ray	Senior Reprographer(Retd)	01-01-2000	5000-150-8000
6.	Shri Joydev Kr. Ghosh	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000
7.	Shri Khokan Kr. Das	Senior Reprographer(Retd)	01-01-2000	5000-150-8000
8.	Shri Swapan Kr. Das	LMP Gde-II (Retd)	01-01-2006	5000-150-8000
9.	Shri Arun Kr. Dutta	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000
10.	Shri S.N. Bhattacharjee	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000
11.	Shri Haralal Hawlader	Despatcher Gde-II (Retd)	01-01-2000	5000-150-8000
12.	Shri Ranjit Kr. Mazumder	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000
13.	Shri Tapan Kr. Das	Senior Reprographer(Retd)	09-08-1999	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारियों को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individuals are required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under ACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड पक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servants.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4301/1902-ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

XIX. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को प्रथम ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय कैट प्रिंसिपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० 1-3/97--सी०डी०एन० दिनांक 17-08-1999 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/1/97-स्था०(डी) दिनांक 09-08-1999 में निहित अनुदेशों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 21-10-2003, पत्र सं० एस०एम०/02/038/2003 दिनांक 28-02-2005 एवं पत्र सं० एस०एम०/02/031/2000 दिनांक 16-11-2007 के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख एवं वेतनमान में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए ए०सी०पी० योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	ए०सी०पी० के लाभ को तिथि	वेतनमान (पूर्व संशोधित)
1.	श्री एस०बी० बिस्वास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	09-08-1999	5000-150-8000

On implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/1/97-Estt.(D) dated 09-08-1999, DST's letter No. S.M./02/031/2000 dated 21-10-2003, letter No. S.M./02/038/2003 dated 28-02-2005 and Letter No. S.M./02/031/2000 dated 16-11-2007 received under DST's Letter No. 1-3/97-CDN dated 17-08-1999, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate is granted First Financial Upgradation under the Assured Career Progression (ACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Scale with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under ACP	Pay Band (Pre-revised)
1.	Shri S.B. Biswas	Senior Reprographer	09-08-1999	5000-150-8000

2. उपरोक्त कर्मचारी को ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of First Financial upgradation under ACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment is pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4225/1902-ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-17)

XX. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

माननीय कैट प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-11-2016 को जारी मूल आवेदन सं० 2620/2012 तथा सी०पी० सं० 215/2015 श्री एस०पी० रिंगोला एवं अन्य बनाम भारत संघ क्रमशः के अनुपालन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में डिविजन-II एवं डिविजन-I (डिविजन-II से पदोन्नत) के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पूर्व संशोधित वेतनमान पी०बी०-2 रु० 9300-34800+4600 ग्रेड पे में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री गौतम बंदोपाध्याय	एल०डी०/मेन ग्रेड-II	01-01-2012

Implementation of Hon'ble Court Principal Bench, New Delhi Court Order dated 23-11-2016 on O.A. No. 2620/2012 and C.P. No.215/2015 Shri S.P. Ringola and others V.S. Union of India and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's Letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Division-II and Division-I (Promotion from Division-II) of this Directorate is granted second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pre-revised Pay Scale P.B.-2 Rs. 9300-34800+4600 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Goutam Bandopadhyay	L.D./Man Gde-II	01-01-2012

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड पक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4232/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 23-08-2017)

XXI. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत ग्रुप 'डी' को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में ग्रुप 'डी' निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मेट्रिक्स में लेवल-3 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एन०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री भूगल राम	खलासी	01-03-2017

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'D' Estt. Of this Directorate is granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-3 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Bhugal Ram	Khalasi	01-03-2017

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा । इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा ।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही का मामला या दण्ड पक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Government Servant.

4. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2017-2018 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2017-2018 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-4049/1902- एम०ए०सी०पी० (पू०मु०व०) दिनांक 10-08-2017)

XXII. स्थानान्तरण पर आये (INCOMING ON TRANSFER) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण पर उपस्थित हुए :-

The undermentioned officer has reported in this office on transfer:-

क्र०सं० Sl.No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से स्थानान्तरण हुए Transferred from which office	स्थानान्तरण की दिनांक date of transfer	टिप्पणी Remarks
1.	श्री बिष्णु रंजन चक्रवर्ती, स्थापना एवं लेखा अधिकारी / Shri Bishnu Ranjan Chakraborty, Estt. & Accounts Officer	निदेशक, जी०डी०सी०, कोलकाता / Director, GDC, Kolkata	01-08-2017	S.G.'s letter No. E1-3326/701- स्थापना एवं लेखा अधिकारी दिनांक 13-07-2017

XXIII. स्थानान्तरण पर गये (OUT GOING ON TRANSFER) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण पर गये :-

The undermentioned officer has been relieved from this office on transfer:-

क्र०सं० Sl.No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से स्थानान्तरण हुए Transferred from which office	स्थानान्तरण की दिनांक date of transfer	टिप्पणी Remarks
1.	श्री मधुसूदन बारिक, स्थापना एवं लेखा अधिकारी / Shri Madhusudan Barik, Estt. & Accounts Officer	निदेशक, उड़ीसा जी०डी०सी०, भुवनेश्वर / Director, Orissa GDC, Bhubaneshwar	01-08-2017	S.G.'s letter No. E1-3047/701- स्थापना एवं लेखा अधिकारी दिनांक 29-06-2017

XXVI. सेवानिवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए ।

क्र०सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री असीम कुमार कांजीलाल	भंडार सहायक	31-08-2017

क्र०सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	Shri Ashim Kumar Kanjilal	Store Assistant	31-08-2017




(आशीष कौशल)

निदेशक

पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून के सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, मुद्रण क्षेत्र, देहरादून को सूचनार्थ ।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता ।
4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी०डी०सी०, देहरादून को ई-मेल (adm.n.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।
5. स्थापना एवं लेखा अधिकारी / प्रभारी वेतन अनुभात ।
6. गार्ड फाईल / 4-F-1(MACP)/14-C(CDPC) संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाईल ।


08/09/17